कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

करेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001
email- jdajodhpur@yahoo.com वैब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/2656115-7 Fax 0291-2612086

कमांकः एफ–37/जेडीए/ले–आउट प्लान/2023/ 3915 दिनांक : 01/3/23

श्री भंवरलाल पुत्र श्री फूलचन्द, श्री फूलचन्द पुत्र श्री दुर्गाराम
निवासी– कमला नेहरू नगर, जोधपुर।

विषयः– राजस्व ग्राम दईजर के खसरा संख्या 269/3, 269/14 रकबा 05.17.15 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।

राजस्व ग्राम दईजर के खसरा संख्या 269/3, 269/14 रकबा 05.17.15 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन हेतु प्राप्त प्रकरण भवन मानचित्र अनुमोदन समिति जोन–6 (ले–आउट प्लान) की 01/2023 वीं बैठक दिनांक 27.02.2023 में प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार–विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

1. आवेदित भूमि दईजर–नागौर मुख्य सडक पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार मास्टर/जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 60 मीटर रखा जावें। साथ ही आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार 12 मीटर सडक का प्रावधान किया जावें। सडक मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें।
2. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के कम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावें एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावें।
3. मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधानानुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल की योजना में नियमानुसार विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के समतुल्य राशि जोन स्तर पर ली जावें।
4. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें।
5. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज् में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

अतः पत्र जारी होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर उपरोक्तानुसार शर्तो की पूर्ति करते हुए आवश्यक संशोधन कर प्रश्नगत भूमि के ले–आउट प्लान की चार प्रतिया क्लोथ मिडिया पर प्रस्तुत करें, ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

उप नगर नियोजक (जोन 6)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

कमांकः एफ–37/जेडीए/ले–आउट प्लान/2023/ दिनांक :
प्रतिलिपीः– वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–
1. उपायुक्त (जोन 06), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

उप नगर नियोजक (जोन 6)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

COM-P-D:\2019\LPC\GENRAL LETER

Scanned with CamScanner

LAYOUT PLAN OF (BALAJI NAGAR -II) KHASRA NO. 269/3 & 269/14 OF VILLAGE-DAIJAR AT-JODHPUR

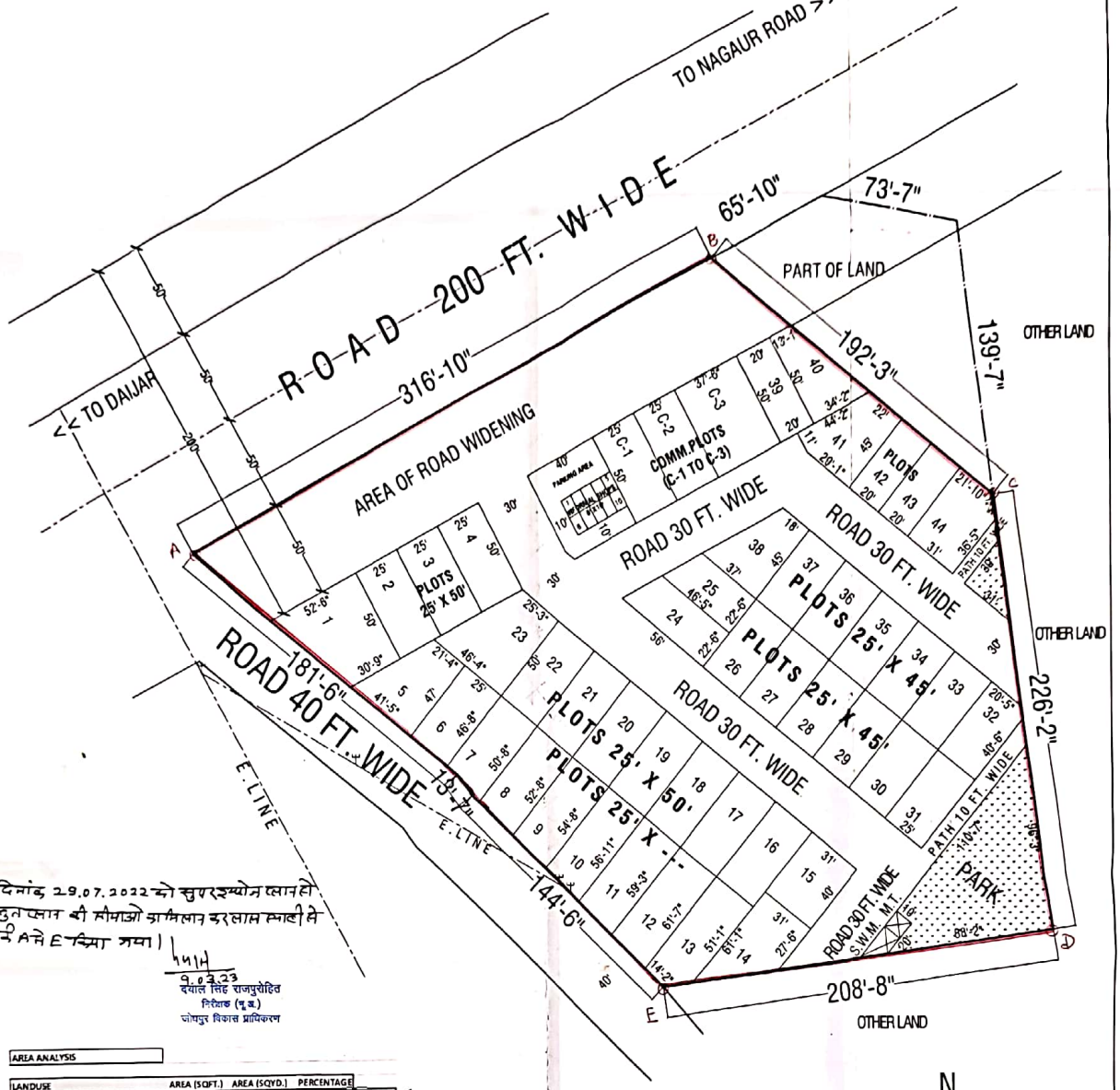

दिनांक 29.07.2022 को सुपरइम्पोज प्लान से प्रस्तुत प्लान की सीमाओं का मिलान करवाया गया। सभी A से E मिला गया।

9.03.23
दयाल सिंह राजपुरोहित
निरीक्षक (भू.अ.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण

AREA ANALYSIS

LANDUSE	AREA (SQFT.)	AREA (SQYD.)	PERCENTAGE	
RESIDENTIAL PLOTS	54873.25	6097.03	53.49%	58.34%
COMMERCIAL PLOTS C1 TO C3	4375.00	486.11	4.26%	
INFORMAL SHOPS (6'X10')	600.00	66.67	0.58%	
PARK	5142.02	571.34	5.01%	41.66%
S.W. & M.T.	253.90	28.21	0.25%	
ROAD	37339.66	4148.85	36.40%	
TOTAL LAND AREA	102583.83	11398.20	100.00%	
	9530.35 SQMT.	5.89 BIGHA		

N
NW NE
W E
SW SE
S

JDA/ डी&सी(प्र)/2022-06/100
03/08/2023

SCALE :-1"=40'

एजेण्डा संख्या 07 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
27.02.2023	जोन-6	दईजर	269/3, 269/14	05.17.15 बीघा	आवासीय योजना

आवेदक — श्री भंवरलाल पुत्र श्री फूलचन्द, श्री फूलचन्द पुत्र श्री पुनाराम

विषय— राजस्व ग्राम दईजर के खसरा संख्या 269/3, 269/14 रकबा 05.17.15 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।

निर्णय— समिति द्वारा एजेन्डा व रजावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि दईजर-नागौर मुख्य सड़क पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार मास्टर/जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 80 मीटर रखा जावें। साथ ही आवेदित भूमि से पश्चिम दिशा में प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कन्टिजेंट अनुसार 12 मीटर सड़क का प्रावधान किया जावें। सड़क मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोड़िया के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें।
2. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के क्रम में निर्धारणानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावें एवम् सेटबैक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुज्ञप्ति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावें।
3. मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधानानुसार 2 हैक्टेयर की योजना में नियमानुसार विकय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के समतुल्य राशि जोन स्तर पर ली जावें।
4. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार गोबरगैस टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें।
5. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
6. पक्ष प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अभाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रस्तुत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

सहायक नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

उप नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

उपायुक्त जोन-6
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

AR. ANIL KUMAR BAL
COA Reg. No. CA/2012/
Mob :- 9461042080
Email :- anilbalrwa@gmail.com

Scanned with CamScanner

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब–साईटjodhpurjda.org Phone No. 0291-2612096/2656355-7 Fax 021-2612096

क्रमांक / एफ.49 / 90–क / जोन–06 / 2024 / दिनांक :–

1. भंवरलाल पुत्र फूलचन्द
   पता– कमला नेहरू नगर जोधपुर।

2. फूलचन्द पुत्र दुर्गाराम
   पता– माता जी का फलसा मेघवालों का बास गुढा जाटान पाली

विषय :– ग्राम दईजर के खसरा संख्या 269 / 3, 269 / 14 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा 15 बिस्वांसी भूमि मे रहन रखे गये भूखण्डों के संबंध मे।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम दईजर के खसरा संख्या **269 / 3, 269 / 14 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा 15 बिस्वांसी** में स्थित आवासीय योजना में आपके द्वारा आंतरिक विकास कार्य पूर्ण करने पर प्राधिकरण स्तरीय जॉच समिति रिपोर्ट की अनुशंषा एवं सक्षम स्तर से अनुमोदन के पश्चात रहन रखे गये भूखण्ड संख्या 14, 15, 23, 30, 39, 40 को रहन मुक्त किया जाता है।

उपायुक्त (जोन–06)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

Signature valid
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.01.2[illegible]4:53:27 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 13143000

Scanned with CamScanner